

प्रारूप - पांच  
(देखिये नियम 12)  
कालोनी के विकास की अनुमति

तारीख - 20-11-2012

अनुमति क्रमांक 13 ब/121 वर्ष 2012-13

मध्य प्रदेश / छ0ग0 पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अर्न्तगत निर्मित मध्यप्रदेश / छ0ग0 ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त ) नियम 1999 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए :-

श्री/श्रीमती/मेसर्स  
आत्मज  
निवासी  
मोहल्ला

सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा0लि0, द्वारा- डॉयरेक्टर, सुबोध सिंघानिया  
श्री श्यामलाल सिंघानिया,  
श्याम चेम्बर, हीरापुर रोड रायपुर, छ0ग0  
श्याम चेम्बर, हीरापुर रोड रायपुर, छ0ग0 रजि0आफिस आमानाका,  
जी0ई0रोड रायपुर

ग्राम/वार्ड  
नगर  
तहसील  
जिला

मोहबा बाजार, रायपुर, छ0ग0  
रायपुर, छ0ग0  
रायपुर  
रायपुर, छ0ग0

को ग्राम - औरैटी प0ह0न0 16 रा0नि0म0 एवं तहसील सिमगा स्थित निचे लिखे खसरा क्रमांक व रकबा की परिवर्तित भूमि जो इस प्रकार है :-

क्र0	आवेदित ख0नं0	रकबा हे0में	क्र0	आवेदित ख0नं0	रकबा हे0में
1.	92/1	0.137	15.	90	0.785
2.	92/2 का भाग	0.526	16.	87/1	0.055
3.	91/1 का भाग	0.007	17.	86/1	0.867
4.	91/2 का भाग	0.078	18.	136/1	0.270
5.	91/3 का भाग	0.221	19.	136/3	0.245
6.	89/3 का भाग	0.141	20.	135/3.4	0.548
7.	89/1 का भाग	0.224	21.	135/1.5,6	0.352
8.	86/3 का भाग	0.244		कुल 21	8.014 हे0
9.	94/8,9,10,11 का भाग	1.352			
10.	94/1,4,5 का भाग	1.124			
11.	138/5	0.307			
12.	137/2	0.243			
13.	93/3	0.248			
14.	93/2	0.040			

कमशः -2




For, Singhanian Buildcon Pvt. Ltd.

Director

में निचे लिखे शर्तों पर आवासीय कालोनी के विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।


1. नगर भूमि सीमा नियंत्रण अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा ।
2. म0प्र0/छ0ग0 भू-राजस्व संहिता में कथित भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा ।
3. नगर तथा ग्राम अधिनियम 1973 के अधीन प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा ।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भू-खण्डों / भवनों का विकास निर्माण प्रथमतः करना होगा ।
5. बाह्य विकास शुल्क नियमानुसार कालोनी विकास के पूर्व देय होगा ।
6. छ0ग0 ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तों) नियम 1999 के नियम 12 में दिये निर्देश तथा शर्तों का पालन आवेदक को करना होगा ।

  
अनुविभागीय अधिकारी,  
भाटापारा

पृ0क0 / क / अ0वि0अ0 / वाचक / 2012  
प्रतिलिपि :-

भाटापारा, दिनांक-20-11-2012

1. उप-पंजीयक, सिमगा को चिन्हांकित नक्शा के साथ सूचनार्थ प्रेषित कृपया संलग्न नक्शा में बंधक हेतु वर्णित भू-खण्डों कमाकों को बंधक रखा गया है । बंधक रखे गये भू-खण्डों को इस कार्यालय के अनुमति के बिना उनका पंजीयन न करें ।
2. सरपंच ग्राम पंचायत, औरैठी को संलग्न नक्शा के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।
3. हल्का पटवारी प0ह0न0 16 को संलग्न नक्शा अनुसार सूचनार्थ एवं कमजोर आय वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) के लिये आरक्षित भू-खण्डों को शासन के पक्ष में कब्जा लेकर ग्राम पंचायत को कब्जा सौंप कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित ।

  
अनुविभागीय अधिकारी,  
भाटापारा



